तामील हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त… अहकाम ज… हुक्म की त… में जारी
	1.11.24	वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई, प्रा० पत्र को शामिल पत्रावली किया गया, वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र मे बताया कि इस प्रकरण मे अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहता हूं। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप फरमाया जावे। मैने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहने से पत्रावली इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। दिनांक 19.1.17 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	